::आदेश::

दिनांक 19.12.2025 को अध्यक्ष, परियोजना समन्वय समिति जनपद देहरादून/जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में जनपद अर्न्तगत विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त रोड़ कटिंग की अनुमति, अनुरोध के कम में 1. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून। 2. अधीक्षण अभियन्ता, परि० किया0, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उ0लि0 आई0एस0बी0टी0 कासिंग सहारनपुर रोड़ माजरा, देहरादून। 3. अधिशासी अभियन्ता, उ0 पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून शाखा, राजेन्द्र नगर। 4. उप कार्यकम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, देहरादून। 5. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0वि0 खण्ड दक्षिण, देहरादून। 6. अधिशासी अभियन्ता, दक्षिण, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून। 7. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0, कौलागढ़ रोड़, राजेन्द्रनगर, देहरादून आदि, तथा कार्यालय जिलाधिकारी/आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून, द्वारा प्रभारी अधिकारी रोड़ कटिंग के माध्यम से रोड़ कटिंग की अनुमति अनुरोध के कम में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को रोड़ कटिंग की अनुमति दी गयी थी। उपरोक्त सन्दर्भों के कम में यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे रोड़ कटिंग कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों, संकेतक/बैरिकेडिंग, जन सामान्य हेतु अन्य सुरक्षा उपायों आदि का पालन नहीं किया जा रहा है। कार्यदायी संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों द्वारा भी कार्यस्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर संबंधित कॉनट्रेक्टर के कार्यों की समीक्षा एवं सुरक्षा मानको का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। समय-समय पर क्यू0आर0टी0 द्वारा निरीक्षणोपरांत पैनेल्टी मुकदमा दर्ज एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के पश्चात भी विभागों द्वारा कार्यों में उचित सुधार नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप अनेक स्थानों पर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि एवं गम्भीर दुर्घटना/आपदा की संभावना बनी हुयी है। जिसके दृष्टिगत उक्त वर्णित समस्त कार्य अनुमतियों को तथा माह जनवरी में आकस्मिकता के दृष्टिगत आपदा कंट्रोल रूम से दी गई सभी कार्यालय अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है सभी कार्यदाई संस्थाएं एक दिवस के भीतर कार्यक्षेत्र से अपनी मशीनरी निर्माण सामग्री इत्यादि तत्काल रूप से हटाएंगे और रोड को मरम्मतीकरण हेतु पूर्ण रूप से खाली करेंगे। अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी ,अधीक्षण अभियंता NH तथा अन्य सड़क निर्माण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल रूप से अपनी-अपनी सड़कों के सुधारीकरण एवं मरम्मतीकरण का कार्य प्रारंभ करते हुए 10 दिवस के भीतर शहर के भीतर की सभी सड़कों को पूर्व स्थिति में लायेगे। उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो।

(कुमकुम जोशी),
उप जिलाधिकारी (न्यायिक)/
प्रभारी अधिकारी, परियोजना समन्वय
समिति, जनपद देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून।

पत्रांक संख्याः-2407/डी0डी0एम0ए0/2025-26 दिनांकः 08 फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी (प्र0/वि0/रा0), महोदय, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

4. पुलिस अधीक्षक यातायात को इस आशय से प्रेषित की यदि कार्य अनुमति निरस्तीकरण पश्चात भी कोई कार्यदाई संस्था देहरादून शहर के अंतर्गत कहीं पर भी कोई रोड कटिंग कार्य कर रही है तो तत्काल रूप से आवश्यक मशीनरी एवं निर्माण सामग्री को जब्त करते हुए संबंधित के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्यवाई करेंगे।

5. अधीक्षण अभियंता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0 / अधीक्षण अभियंता, एन0एच0 देहरादून / परियोजना प्रबंधक, यू0यू0एस0डी0ए0 / अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विभागीय अभियंताओं की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए संबंधित सड़क के मरम्मतीकरण एवं सुधारीकरण हेतु तत्काल रूप से कार्य प्रारंभ कराते हुए समयान्तर्गत सड़क मरम्मतीकरण का कार्य पूर्ण करवायेंगे।

6. कार्यालय प्रति।

उप जिलाधिकारी (न्यायिक) /
प्रभारी अधिकारी, परियोजना समन्वय
समिति, जनपद देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner